संक्षिप्त

वरिष्ठ पत्रकार का निधन

देवली। शहर के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकड़ीवाल (जय भवानी) का गुरुवार की सुबह निधन हो गया। निधन की सूचना पर शहर सहित पत्रकारिता क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत पत्रकार जयप्रकाश चौकड़ीवाल पिछले 8 महीने से किडनी तथा हॉर्ट इंफेक्शन को लेकर रूटीन इलाज अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में करा रहे थे। वहीं रूटीन चेकअप कराने को लेकर चौकड़ीवाल अपने छोटे पुत्र के पास नसीराबाद रहने लग गए थे। वहीं गुरुवार की सुबह पाठ पूजा किए जाने दौरान अचानक उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। बड़े पुत्र ने बताया कि उनकी आत्मा की शांति हेतु शनिवार को दोपहर 2 बजे तीये की बैठक नसीराबाद के जीटी टावर में रखी गई है।

'सरकारी योजनाओं का लाभ लेवें '

निवाई। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने शहर में सैकडो पटटे जारी कर लोगों को पटटे वितरित किए हैं जिससे शहर वासियों में खुशी की लहर है। नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने लोगों का आ भार करते हुए कहा कि पालिका शहर के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेवे एवं अपने आवास के पटटों के आवेदन करके मालिकाना हक प्राप्त करे।

सांसद जसकौर मीणा का आभार जताया

फागी। सांसद जसकौर मीणा ने फागी उपखंड की माधोराजपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए 46 लाख रुपये की स्वीकृति किए हैं। माधोराजपुरा भाजपा मंडल के महामंत्री एवं भाजपा के युवा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि दौसा सांसद जसकोर मीणा द्वारा क्षेत्र में 46 लाख रूपए विकास कार्य के लिए स्वीकृत करने पर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता एवं मंडल के पदाधिकारीगण सांसद मीणा का आभार करने प्रकट करने सांसद निवास पर पहुंचकर सांसद मीणा का आभार प्रकट किया।

नाथी का बाड़ा शेखावटी में मुहावरे की तरह, जो बीजेपी के समझ में नहीं आता: डोटासरा

जो मेहतन करेगा, उसे टिकट मिलेगा, राहुल गांधी कराएंगे सर्वे: निरुपम

अलवर, (निसं)। कांग्रेस पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में गुरूवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राजस्थान प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रभारी संजय निरूपम, प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, अभियान के एपीआरओ राजेन्द्र कुमावत, अमित कुमार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत गुर्जर एवं जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने सम्बोधित किया। कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से पूरे देश में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा तैयार करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है तथा आगामी 2023-24 में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से प्रदेश व देश में सरकार बनाएगी। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव बारेठ ने किया।

कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत की तथा नाथी के बाड़ा का मतलब समझाया। कहा कि ये लोकोक्ति व मुहावरे की तरह है जो शेखावटी में बोला जाता है। जिसे समझ आता है उसे आता है, बीजेपी व आरएसएस को सही बात समझ नहीं आती है। उनको चंदे में चोरी करना आता है। जैसे बीजेपी के नेताओं ने राम मंदिर के नाम पर जनता से इक्ट्ठा किया 300 करोड रुपया हजम कर लिया। चंदे में चोरी के पैसे से बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं।

अलवर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित

कहा कि अयोध्या के नाम पर बीजेपी ने प्रदेश से 400 करोड़ रुपया इक्ट्ठा किया, लेकिन आगे 100 करोड़ रुपया ही भेजा, 300 करोड रुपया खा गए। ये आरएसएस व बीजेपी चंदे में चोरी, हिन्दू-मुस्लिम करना, नफरत पैदा करना, भाई को भाई से लडाना जानती है, इनको सही बात समझ नहीं आती है।

डोटासरा ने कहा कि मुझे बीजेपी के नेता अनावश्यक बदनाम करते हैं। हर जिले में आरएसएस के जरिए कुप्रचार कराते हैं। अधिकतर जिलों में कुछेक गुंडे टाइप के लोग हैं। जब कांग्रेस के नेता जनता के सामने कोई सही बात रखते हैं तो बीजेपी के नेताओं को गर्म तेल के छींटे लगते हैं, इसलिए नौटंकी करते हैं।

रीट के पेपर के मामले में आरएसएस के कुछ गुंडे व असामाजिक तत्व बार-बार सीबीआई की जांच की मांग कर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ही सीबीआई की मांग को दरकिनार कर चुका है। डोटासरा ने केंद्र की बीजेपी पर पलटवार किए। कहा कि बीजेपी के नेता सरकार के खिलाफ बोलने वाले नेता को देशद्रोही बताते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की असलियत बताने होगी। यह बताना होगा कि चाइना ने देश की जमीन पर कब्जा किया है। जो पहले बडी-बडी बातें करके सत्ता में आए थे। अब चाइना के मामले में चुप हैं।

डोटासरा ने कहा कि यूक्रेन से भारत के स्टूडेंट को निकालने में सरकार फेल हुई है। दो छात्रों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पाई। बहुत देर बात यूक्रेन में रह रहे स्टूडेंट को निकालने की तैयारी की, जिसका खमियाजा वहां रह रहे हजारों स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के आईटी की रेड पड जाती है। इससे लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है।

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व डिजिटल अभियान राजस्थान के प्रभारी संजय निरुपम ने डिजिटल सदस्य बनाने और इसके महत्व की जानकारी दी। निरुपम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि डिजिटल सदस्य बनाने में किसी तरह का फर्जीवाडा नहीं हो सकता। फोटो, वोटर आईडी व मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सदस्य बनाया जाएगा। भाजपा की तरह मिस्ड कॉल के जरिए झूठे सदस्यता का रिकॉर्ड नहीं बनाना है। निरुपम ने कहा कि सदस्य बनाने में जो मेहनत करेगा। उनकी टीम बनती रहेगी। उनको कार्यकर्ता जानेंगे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है राहुल गांधीजी खुद किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में डिजिटल सदस्यों से सर्वे करा लें। सर्वे में यह पूछता जा सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। इसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक आएगा। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा होगा। उसको पार्टी केवल डिजिटल फीडबैक के आधार पर टिकट देगी।

डिजिटल सदस्य अभियान के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पीसीसी सचिव ललित यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व विधायक राजेंद्रसिंह, कृष्ण मुरारी गंगावत, मुकेश सारवान, सुमन यादव, अजीत यादव सहित काफी संख्या में कांग्रेस के बडे नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

'बिजली का बिल पूरा जमा होने पर ही मिलेगी सब्सिडी'

पावटा। पावटा विद्युत सहायक अभियंता कपिल शर्मा व कनिष्ठ अभियंता वीरेन्द्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को बिल में प्रतिमाह 1 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी उन उपभोक्ताओं को ही मिल रही है जिनके पिछले माह में कोई बकाया राशि नहीं है। सभवत: आगामी सत्र में बजट की घोषणा के अनुसार उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 रिडिंग एवं 3 रूपए प्रति यूनिट की सब्सिडी उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके मार्च माह के बिल पूर्ण जमा होंगे। इसके लिए सभी घरेलु उपभोक्ताओं से अनुरोध है की अपना बकाया बिल इसी माह जमा कराए। सहायक अभियंता कार्यालय इस माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन भी खुला रहेगा।

आर्यिका विशुद्धमति माताजी का मंगल प्रवेश आज

निवाई। गणिनी आर्यिका विशुद्धमति माताजी ससंघ का शुक्रवार सुबह 8 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य मंगल प्रवेश होगा। जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौला व राकेश संधी ने बताया कि आर्यिका माताजी का निवाई आगमन का जूलुस पहाडी चुंगी नाके से रवाना होगा।

कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा-टोंक

क्रमांक-पसमा/लेखा/2021-22/6088 दिनांक- 03.03.2022

ई-निविदा सूचना संख्या 24/2022-23

पंचायत समिति मालपुरा एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में आगामी एक वर्ष के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवनों की सुरक्षा हेतु जॉबबेसिस पर मानव संसाधन की दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु संवेदकों से ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

NIB CODE: ZTN2122A0165

UBN CODE: ZTN2122SLOB00395

विकास अधिकारी
पंचायत समिति मालपुरा

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सांभरझील, जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक-नपासां-2022-2750 दिनांक- 03.03.2022

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किये गये है। उक्त अधिसूचना में 01 जनवरी 2022 से पॉलीस्टिराइन और विस्तारित पॉलीस्टिराइन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक (singal Use Plastic) वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। एकल प्रयोग (singal Use Plastic) की श्रेणी में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो निम्न प्रकार है-

1. प्लास्टिक ईयर युक्त स्टिक बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डण्डियां, प्लास्टिक के झण्डे, कैण्डी स्टीक आईसक्रीम की डण्डियां, पॉलिस्टाईरीन की सजावटी सामग्री।
2. प्लेटे, कांटे, गिलास, कप, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्दगिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त प्रतिबन्ध सीवरों एवं सैप्टिक टैंकों की चौकिंग की समस्या को कम से कम करने के लिये आवश्यक है।

अतः नगरपालिका सांभरलेक के समस्त आम नागरिको/व्यवसायों/संस्थाओं इत्यादि को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सूचित रहे।

(शिवराज कृष्णा)
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका
सांभरझील, जिला जयपुर

नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर 25 को

श्रीमाधोपुर के स्वर्गीय श्रीमती चंद्रमणि शर्मा स्मृति धर्मार्थ चिकित्सा परामर्श केंद्र में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

श्रीमाधोपुर। कस्बे के स्वर्गीय श्रीमती चंद्रमणि शर्मा स्मृति धर्मार्थ चिकित्सा परामर्श केंद्र में 25 मार्च को अति विशिष्ट निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा।

आयोजनकर्ता युगल किशोर शर्मा ने बताया कि शिविर में डा.आर एस सिसोदिया एम डी चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री रोगियों को सुबह प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक परामर्श देंगे जिन रोगियों को सुबह उठने पर खांसी आना, छाती से सीटी जैसी आवाज आना, सांस लेने में कठिनाई, लगातार छींक आना, नाक में खुजली होना, पसलियां चलना, एलर्जी, टीबी का रोग आदि हो वह इस शिविर में आकर परामर्श लेकर लाभ उठाएं, वही 27 मार्च को डॉ कपिल खंडेलवाल द्वारा मिर्गी, पोलियो, सिर दर्द आदि के रोगियों को परामर्श देंगे। आयोजन कर युगल किशोर शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय संत शिरोमणि पदम श्री श्री 1008 सदगुरुदेव श्री नारायण दास जी महाराज के आशीर्वाद से संस्थान में आयुर्वेद की चिकित्सा परामर्श सेवा का समय प्रात: 9:00 से 1:00 तक रहता है आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा समस्त बीमारियों का इलाज यथासंभव दवाइयां भी निशुल्क दी जाएंगी।

शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श सेवा पूर्व कार्यरत रहे योग्य अनुभवी आयुर्वेदाचार्य डॉ जगदीश महर्षि भी चिकित्सा सेवाएं देंगे उन्होंने एक विशेष सूचना भी दी है कि पुराने बीमार अपनी पुरानी पर्ची, जांच रिपोर्ट, एक्स-रे आदि साथ लेकर आवें।

दोनों हत्याओं का आरोपी गिरफ्तार

बौंली। बामनवास उपखंड मुख्यालय पर 19 फरवरी को टेंट हाउस की दुकान में दो हत्या के आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के निर्देशन में गठित टीम ने दोनों हत्याओं के आरोपी रवि मीणा को गंगापुर सिटी के रीको एरिया से हिरासत में लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पैसे लेने टेंट व्यवसाई गिर्राज शर्मा के पास गया था इसी बीच कहा सुनी हो जाने के कारण उसने गिर्राज शर्मा की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी एवं उसके सहयोगी विपिन मीणा की भी हथौड़े से मारकर हत्या कर दी।

विश्व वन्यजीव दिवस मनाया

लालसोट। बगड़ी ग्राम स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में आज विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता पर्यावरणविद डॉ सुभाष पजडिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का मकसद है वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रकृति से अंतरसंबंध स्थापित करने होंगे व पृथ्वी से विलुप्त से हो रहे जीव-जंतुओं और पेड-पौधों को बचाने का प्रयास करना है। इसीलिए लोगों को अवगत कराने और विश्वव्यापी जागरूकता लाने के लिए हर साल तीन मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व में इस समय लगभग आठ हजार चार सौ से भी ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। और लगभग तीस हजार प्रजातियां संकटास्त्र है।वन्य जीवों और वनस्पतियों हमारे जीवन और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 03 मार्च के दिन को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने को घोषित की था। डीआरडीए सोसाइटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं प्रमुख प्राणी विज्ञानी एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष भाटिया ने बताया कि हर साल इस दिन को एक थीम के साथ मनाया जाता है। थीम के माध्यम से प्रकृति से विलुप्त हो रहे जीव, प्रजातियों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।

कार्यालय पंचायत समिति मौजमाबाद जिला जयपुर, राज.

Phone-Email: bdo.jal.moz@gmail.com

Add: Near tehsil office mozamabad

क्रमांक-पसमौ/लेखा/2021-22/172-182 दिनांक- 25.02.2022

हड्डी ठेका नीलामी सूचना

पंचायत समिति मौजमाबाद के अधीनस्थ सभी 21 ग्राम पंचायतों का वर्ष 2022-23 के लिए पशु हड्डियों का ठेका खुली नीलामी के माध्यम से दिया जाना है। दिनांक 05.03.2022 से 10.03.2022 तक कार्यालय समय में ठेका शर्तो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इच्छुक बोलीदाता नीलामी हेतु दिनांक 11.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक धरोहर राशि रूपये 10000/- जमा कर नीलामी में भाग ले सकता है।

नीलामी की विस्तृत शर्ते आदि sppp.rajasthan.gov.in Portal पर NIB No. एवं UBN No. भी देखी जा सकती है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, मौजमाबाद

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **punjab national bank** (Govt. of India Undertaking)

मानव संसाधन विकास विभाग, मंडल कार्यालय जयपुर-सीकर
2, नेहरू प्लेस, द्वितीय तल, टौंक रोड़, जयपुर (राज.) पिन-302015

अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी (PEON) पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

जयपुर एवं सीकर जिले में कार्यरत विभिन्न शाखाओ/कार्यालय में चपरासी के 14 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जिसके लिए पात्रता निम्नानुसार है :-

1. **आयु सीमाः-** दिनांक 01.01.2022 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष हो। (ओबीसी/एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में क्रमश 03 वर्ष /05 वर्ष /05 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को 3 वर्ष (सैन्य सेवा की अवधि के अतिरिक्त) छूट तथा 1984 के दंगो में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है, समस्त छूटो के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।
2. **शैक्षणिक योग्यता :-** न्यूनतम एवं अधिकतम 12वीं कक्षा(समकक्ष परीक्षा) उत्तीर्ण की हो तथा अंग्रेजी भाषा को पढने व लिखने का मूल ज्ञान हो।
3. **रिक्तियों का विवरण :-**

जिला	एससी	एसटी	ओबीसी (नॉन क्लीमीलेयर)	ईडब्लूएस	अनारक्षित	कुल
जयपुर	1	1	1	1	2	6
सीकर	2	1	1	1	3	8

4. उम्मीदवार उसी जिले का मूल निवासी हो जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।
5. **वेतनमानः** रु 14500-28145 एवं भत्ते (बैंक नियमानुसार)।
6. पात्र अभ्यर्थियों के चयन हेतु दसवी कक्षा के प्राप्तांक के 40 प्रतिशत तथा बारहवी कक्षा के प्राप्तांक के 60 प्रतिशत के आधार पर मैरिट बनाई जाएगी तथा मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
7. भर्ती प्रक्रिया बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है, रिक्तियों की संख्या कम या बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित है तथा भर्ती सम्बन्धी अन्य सभी मामलो में बैंक प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
8. उम्मीदवार नीचे दिए गए प्रारूप पर अपना **स्वहस्ताक्षरित** विस्तृत बायोडाटा,नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर समस्त दस्तावेजो की प्रतिलिपियो सहित बंद लिफाफा में सरकारी डाक (रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट) द्वारा इस प्रकार भेजे कि आवेदन पत्र हमें दिनांक 14-03-2022 को सायं 5.00 बजे से पूर्व निम्न पते पर प्राप्त हो- "मंडल प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जयपुर-सीकर, 2-नेहरु प्लेस, द्वितीय तल, टोंक रोड़, जयपुर (राज.) पिन-302015"
   लिफाफे पर **"अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी (Peon) पद पर भर्ती हेतु आवेदन जिला जयपुर/सीकर (जो जिला लागू हो)"** लिखा होना चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।
9. आधी-अधूरी व असत्य जानकारी वाले आवेदन पत्र तथा दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा, मूलनिवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) के अभाव वाले आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। आवेदन पर अंतिम विचार करने का सम्पूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित है।

दिनांक 04-03-2022 **मंडल प्रमुख**

अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी (PEON) पद पर भर्ती हेतु आवेदन
जिला..............................के लिए

अभ्यार्थी का नाम ....
पिता/पति का नाम ....
स्थाई पता ....
मोबाइल नंबर ....
ईमेल आईडी ....
श्रेणी .... जन्म तिथि ....
जिला जिसका निवासी है ....
पेन संख्या ....
आधार संख्या ....
शैक्षणिक योग्यताये-

फोटो

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने की तिथि	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचनायें सत्य है एवं कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

संग्लन :
मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, रोजगार कार्यालय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, (दसवी एवं बारहवी की अंक तालिका एवं अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने की टी.सी)

स्थानः ....

दिनांक : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जागरूक किया

उनियारा,(निस)। मतदाता जागरूक अभियान के तहत देवली उनियारा उपखण्ड अधिकारी रजनी मीना ने बताया कि निर्वाचन विभाग के स्वीप निर्देशो की अनुपालना में निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय ओर निजी महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।इसके अंतर्गत उनियारा राजकीय महाविद्यालय में भी कलस्टर कैम्प ओर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें पोस्टर और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

1495 पेटी बीयर जब्त

राजगढ़। राजगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नाकेबंदी में अवैध रूप से कंटेनर में शराब परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर कंटेनर को जप्त किया है।

इस मामले में 1495 पेटी बियर पुलिस ने जप्त की है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि टीम को 2 मार्च को सूचना मिली कि एक कंटेनर जिसमें अवैध शराब हो सकती है सिकंदरा की ओर से आ रहा है। इस पर पुलिस थाने के सामने कडी नाकेबंदी कर सामने से आ रहे कंटेनर को रोका चालक से पूछताछ के दौरान कंटेनर में 1500 कार्टून शराब होना बताया।

पुलिस ने बताया कि निर्धारित रूट से अलग अवैध रूप से शराब को परिवहन करने के आरोप में अब्दुल जब्बार पुत्र राजमल खान निवासी गनदूरी थाना नगीना जिला नूह हरियाणा को गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त किया है। 1495 पेटी बियर जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

बजट में पावटा व विराटनगर क्षेत्र को दी कई सौगातें

ग्रामीणों में खुशी का माहौल

पावटा, (निसं)। राजस्थान सरकार द्वारा विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्राज गुर्जर के प्रयासों से उपखंड पावटा में राजकीय कन्या महाविद्यालय व विराटनगर क्षेत्र में विराटनगर कुहाडा मोड से वाया पापडा बडा काकराणा, खाला की ढाणी, तालुकाबास की छींड, तालुकाबास, पांचूडाला की छींड, सितोपिसिंहपुरा, भोजावास, भांकरी, चौबाला, पाथरेडी, चौकी राजनौता रोड, भालौजी मोड तक 33 करोड की लागत से 33 किलोमीटर एमडीआर 251, विराटनगर में जोधूला स्कूल वाया राडावास होते हुए दौलाज तक 8 करोड की लागत से 8 किलोमीटर सडक निर्माण, आंतेला पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत, विराटनगर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की सौगात मिली।

ग्रामीणों ने खुशी में पटाखे फोड़े।

इस मौके पर ग्रामीणों, विद्यालय की छात्राओं व कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित विराटनगर क्षेत्र में कई सौगातें मिलने की खुशी में जगह जगह कस्बे में पटाखे छोडे गए और विधायक इंद्राज गुर्जर के जयजयकार लगाए गए। इस मौके पर संत निरंकारी मिशन जोनल इंचार्ज वैद्य बनवारी लाल निरंकारी, नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष अजय सैनी, मनोज अग्रवाल, रोशन धनकड़, विनोद यादव, संजय बिडला, रिजवान कुरेशी, एडवोकेट दीपक गोयल, खेलना सरपंच राजकुमार, करण पंसारी, रतन जिंदल सहित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने विधायक इंद्राज गुर्जर का आभार जताते हुए मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि राजेश गुर्जर का आभार जताया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	15135300	सम्पत्ति पर ऋण	1. अशोक कुमार स्वामी 2. किरण शर्मा 3. कृष्ण कुमार स्वामी	19.02.2022	27,62,165.61/-	प्लाट नं. 79, क्षेत्रफल 245 वर्गगज, स्कीम विश्वामित्र नगर, जमनापुरी के पास, वैद्य जी का चौराहा, स्कीम मुरलीपुरा, चौमू रोड, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-प्लाट नं. 80, दक्षिण- प्लाट नं. 78
2	21491698 और 33700864	सम्पत्ति पर ऋण	1. हिम्मत सिंह 2. लाखन सिंह 3. उषा कंवर	19.02.2022	28,57,714.21/-	प्लाट नं. 71-ए, राजविहार स्कीम, पांचावाला, जयपुर, राजस्थान-302034 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 66.25 वर्गगज, और सीमायें है-पूर्व-प्लाट नं. 72, पश्चिम-प्लाट नं. 71, उत्तर-रोड 30 फिट चौड़ी, दक्षिण-अन्य
3	16697625	सम्पत्ति पर ऋण	1. मो.अस्पाक कुरैशी 2. चांद सुबरानी	19.02.2022	27,12,672.88/-	प्लाट/सर्वे नं. 66, क्षेत्रफल 55.93 वर्गगज, कासबपुरा कच्ची बस्ती, हमीद नगर, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-प्लाट नं. 65, पश्चिम-रोड 17 फिट 6 इंच चौड़ी, उत्तर-अन्य सम्पत्ति, दक्षिण-प्लाट नं. 67
4	16140955 और 33735220	सम्पत्ति पर ऋण	1. नन्द किशोर खींची 2. विनीता खींची	19.02.2022	17,45,799.43/-	प्लाट/सर्वे नं. 430, मंडी खटीकान, बजरंग नर्सरी के पास, चार दरवाजा के बाहर, वार्ड नं. 71, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 32.29 वर्गगज और सीमायें है-पूर्व-रोड, पश्चिम-ए रहीम का मकान, उत्तर-मुन्ना भाई का मकान, दक्षिण-गजानन्द खींची का मकान
5	23757194	सम्पत्ति पर ऋण	1. ओम प्रकाश 2. रूकमणी देवी	19.02.2022	13,06,644.09/-	प्लाट नं. 1683, क्षेत्रफल 61.60 वर्गगज, संजय नगर कच्ची बस्ती, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है-पूर्व - प्लाट नं. 1684, पश्चिम-प्लाट नं. 1682, उत्तर-अन्य, दक्षिण-रोड 15 फिट चौडी
6	41106682	सम्पत्ति पर ऋण	1. राम चन्द्र जाट 2. मंजू देवी	19.02.2022	4,72,251.95/-	पट्टा नं. 15, ग्राम मोहन का बास, ग्राम पंचायत खेडी मिल्क, पंचायत समिति सांभर लेक, जयपुर, राजस्थान-303603 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 288.88 वर्गगज और सीमायें है-पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-स्वयं की भूमि, उत्तर-बोहरा का मकान, दक्षिण-दानाराम का मकान
7	26474835 25576929 32525749 32541790	सम्पत्ति पर ऋण, गृह ऋण तथा मोर्टगेज/ वर्किंग कैपीटल टर्म लोन	1. टाइल्स प्लाजा 2. राम किशन 3. सरोज कृष्णिया 4. जसवन्त सिंह कृष्णिया 5. विशाल कृष्णिया	19.02.2022	80,04,090.27/-	सम्पत्ति-1- फ्लैट नं. सी-304, तीसरी मंजिल, टावर 'सी' क्षेत्रफल 1530 वर्ग फिट (सुपर बिल्ट अप एरिया), प्लाट नं. जीएच-11, सनसिटी स्कीम (निजी खातेदार), ग्राम नीन्दड, सीकर रोड, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है- पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम-रोड 20 मीटर, उत्तर-रोड 30 मीटर, दक्षिण-रोड 37 मीटर सम्पत्ति-2- दुकान नं. 3, ग्राउण्ड फ्लोर, क्षेत्रफल 398.08 वर्गफिट (बिल्ट अप एरिया) तथा 537 वर्ग फिट (सुपर बिल्ट अप एरिया) और दुकान नं. 4, ग्राउण्ड फ्लोर, क्षेत्रफल 371.85 वर्गफिट (बिल्ट अप एरिया) तथा 501.99 वर्ग फिट (सुपर बिल्ट अप एरिया), गुरू शिखर शेखावाटी, प्लाट नं. 2, ग्राम नीन्दड, तहसील आमेर, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-प्लाट नं. जीएच-1, पश्चिम-80 फिट रोड, उत्तर-80 फिट रोड, दक्षिण-100 फिट रोड

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है

ह./-
दिनांक- 04.03.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)